

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

कमांक प0 09(04)राज/वाद/88

जयपुर,दिनांक: 02-01-15

:: आदेश ::

माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष उदभूत राजस्थान राज्य की ओर से सभी प्रकरणों को प्रस्तुत करने एवं पैरवी करने हेतु श्री अनीश माहेश्वरी, एडवोकेट को पैनल लॉयर के पद पर तत्काल प्रभाव से निम्न शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है। इन्हे फीस का संदाय उच्चतम न्यायालय के नियम 1966 व एसोसियेट एडवोकेट्स को देय फीस के अनुसार किया जावेगा:-

इनकी नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार होगी:-

1. यह नियुक्ति विधि विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये परिपत्रों एवं आदेशों के अधीन होगी तथा इनकी सेवायें किसी भी समय बिना नोटिस दिये व बिना कारण बताये इस विभाग द्वारा समाप्त की जा सकेगी।
2. उपरोक्त पैनल अभिभाषक माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली / उच्च न्यायालय, दिल्ली व दिल्ली स्थित अन्य न्यायालयों, अधिकरण / प्राधिकारी के समक्ष राजस्थान राज्य के विरुद्ध किसी भी प्रकरण को प्रस्तुत करने व पैरवी करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे।
3. वे राजस्थान राज्य के विरुद्ध किसी भी मामलों में किसी भी प्रकार का परामर्श देने के लिए वर्जित होंगे।
4. उन्हें विधि विभाग द्वारा प्रकरणों का आवंटन किया जावेगा।

आज्ञा से,

रूप

(दीपक माहेश्वरी)

प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-


1. प्रमुख शासन सचिव / विशेषाधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय विधि मंत्री राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव, विधि / समस्त प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव एवं विशिष्ट शासन सचिव।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर / सचिव राज0 विधान सभा, जयपुर / सचिव, लोकायुक्त, जयपुर / निदेशक, जनसम्पर्क, जयपुर।
5. समस्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजस्थान।
6. निबंधक राजस्व मण्डल, अजमेर / महालेखाकार राजस्थान, जयपुर।
7. महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर / समस्त अति0 महाधिवक्ता, जयपुर / जोधपुर।



File
6/1/15

.....लगातार

8. समस्त अति० महाधिवक्ता/एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, नई दिल्ली।
9. सचिव, भारत सरकार गृह मंत्रालय/विधि मंत्रालय, नई दिल्ली।
10. रजिस्ट्रार जनरल/रजिस्ट्रार, माननीय उच्चतम, नई दिल्ली।
11. सचिवालय के समस्त अनुभाग/प्रकोष्ठ/विधि विभाग के समस्त विधि प्रकोष्ठ।
12. समस्त जिला कलक्टर/पुलिस अधीक्षक/विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
13. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
14. राजकीय अधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर एवं समस्त अतिरिक्त/उप राजकीय अधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
15. समस्त गवर्नमेन्ट काउन्सिल/एडि० गवर्नमेन्ट काउन्सिल/डिप्टी गवर्नमेन्ट काउन्सिल, जयपुर/जोधपुर।
16. आहरण एवं वितरण अधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, वादकरण, जयपुर।
17. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
18. श्री अनीश माहेश्वरी, अधिवक्ता, 423, न्यू लॉयर्स चैम्बर, एम.सी.सेटलवाड ब्लॉक, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली 110001
19. रक्षित पत्रावली।


(गोवर्धन बाढदार)
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 09(04)राज/वाद/88

जयपुर, दिनांक: 02-01-15

:: आदेश ::

माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष उदभूत राजस्थान राज्य की ओर से सभी प्रकरणों को प्रस्तुत करने एवं पैरवी करने हेतु श्री नितिश बागडी, एडवोकेट को पैनल लॉयर के पद पर तत्काल प्रभाव से निम्न शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है। इन्हे फीस का संदाय उच्चतम न्यायालय के नियम 1966 व एसोसियेट एडवोकेट्स को देय फीस के अनुसार किया जावेगा:-

इनकी नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार होंगी:-

1. यह नियुक्ति विधि विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये परिपत्रों एवं आदेशों के अधीन होगी तथा इनकी सेवायें किसी भी समय बिना नोटिस दिये व बिना कारण बताये इस विभाग द्वारा समाप्त की जा सकेंगी।
2. उपरोक्त पैनल अभिभाषक माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली/उच्च न्यायालय, दिल्ली व दिल्ली स्थित अन्य न्यायालयों, अधिकरण / प्राधिकारी के समक्ष राजस्थान राज्य के विरुद्ध किसी भी प्रकरण को प्रस्तुत करने व पैरवी करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे।
3. वे राजस्थान राज्य के विरुद्ध किसी भी मामलों में किसी भी प्रकार का परामर्श देने के लिए वर्जित होंगे।
4. उन्हे विधि विभाग द्वारा प्रकरणों का आवंटन किया जावेगा।

आज्ञा से,

ह०

(दीपक माहेश्वरी)

प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. प्रमुख शासन सचिव/विशेषाधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय विधि मंत्री राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, विधि/समस्त प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव एवं विशिष्ट शासन सचिव।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर/सचिव राज0 विधान सभा, जयपुर/ सचिव, लोकायुक्त, जयपुर/ निदेशक, जनसम्पर्क, जयपुर।
5. समस्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजस्थान।
6. महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर/समस्त अति0 महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
7. निबंधक राजस्व मण्डल, अजमेर/महालेखाकार राजस्थान, जयपुर।

.....लगातार

File
6/1/15

प्रास्ताविक-2-आचार्य
 भारतीय प्रत्यक्ष कर विभाग
 (एडवोकेट जनरल का कार्यालय)

8. 21 - समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता/एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, नई दिल्ली।
9. सचिव, भारत सरकार गृह मंत्रालय/विधि मंत्रालय, नई दिल्ली।
10. रजिस्ट्रार जनरल/रजिस्ट्रार, माननीय उच्चतम, नई दिल्ली।
11. सचिवालय के समस्त अनुभाग/प्रकोष्ठ/विधि विभाग के समस्त विधि प्रकोष्ठ।
12. समस्त जिला कलक्टर/पुलिस अधीक्षक/विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
13. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
14. राजकीय अधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर एवं समस्त अतिरिक्त/उप राजकीय अधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
15. समस्त गवर्नमेन्ट काउन्सिल/एडि० गवर्नमेन्ट काउन्सिल/डिप्टी गवर्नमेन्ट काउन्सिल, जयपुर/जोधपुर।
16. आहरण एवं वितरण अधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, वादकरण, जयपुर।
17. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
18. श्री नितिश बागडी, एडवोकेट, जेबी-11, न्यू न्यायदीप, गौधीनगर, जयपुर।
19. रक्षित पत्रावली।

(Handwritten Signature)

(गोवर्धन बाढदार)
 शासन सचिव, विधि

श्री आचार्य
 (विभागाध्यक्ष)
 विधि विभाग, राजस्थान सरकार

- 3 -
1. प्रमुख, राजस्थान सरकार, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान विधानसभा
 2. प्रमुख, राजस्थान सरकार, विधि विभाग, राजस्थान सरकार
 3. प्रमुख, राजस्थान सरकार, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान विधानसभा
 4. प्रमुख, राजस्थान सरकार, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान विधानसभा
 5. प्रमुख, राजस्थान सरकार, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान विधानसभा
 6. प्रमुख, राजस्थान सरकार, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान विधानसभा
 7. प्रमुख, राजस्थान सरकार, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान विधानसभा
 8. प्रमुख, राजस्थान सरकार, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान विधानसभा
 9. प्रमुख, राजस्थान सरकार, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान विधानसभा

शाखा...